श्री शंकर दयाल सिंह : पहले तो इनको पुरस्कार देना चाहिए कि इतना बढ़िया रिकार्ड इन्होंने मेन्टेन किया है

Closure of Kumardhubi Company, Dhanbad

श्री रामेश्वर कुमार अग्रवाल (बिहार) उपसभापति महोदया, मैं आज इस सदन में एक ऐसे मामले को उठाने जा रहा हूं जिसमें कि अगर सरकार द्वारा तुरंत कार्यवाही नहीं की गयी तो हजारों मजदूरों का जीवन तबाह होजायेगा। उनके परिवारों के कम से कम 5 हजार लोगों के सामने जीवन मरण की समस्या खड़ी हो जायेगी।

कुमारधुबी फायर क्ले एंड सिलिका वर्कस लिमिटेड, कुमारधुबी जिला धनबाद, बिहार की स्थापना 23 मार्च, 1915 को बर्ड एंड कंपनी के द्वारा की गई थी। वर्ष 1956 में टाटा के सहयोग से इस उद्योग का विस्तार किया गया। जर्मन डिजाइन पर आधारित सेमट--किल्न गिबन—डिजाइन पर टनल किल्न लगायी गयी। वर्ष 1967 में रिफ्रेक्ट्री क्षेत्र में विश्व विख्यात ए. पी. ग्रीव कंपनी के सहयोग से नई तकनीक का विकास किया गया। 60 एकड़ क्षेत्र में स्थापित इस उद्योग में एक रोटरी किल्न एवं सेफ्ट किल्न पांच टनल किल्न एवं कई राउण्ड किल्न है। कुल 680 क्वार्टर्स हैं।

वर्ष 1981 में बर्ड एंड कं के 50 प्रतिशत शेयरों का अधिग्रहण कर भारत सरकार के संयुक्त तत्वधान में यह उद्योग संचालित होने लगा। परन्तु शीघ्र ही टाटा, ए. पी. ग्रीन कम्पनी ने इसमें रुचि लेना बन्द कर दिया। धीरे धीरे इसकी स्थिति बिगड़ती चली गयी। वर्तमान समय में इसके निदेशक मंडल में टाटा एवं ए. पी. ग्रीन कम्पनी के कोई प्रतिनिधि नहीं है।

इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 1,35,000 टन है। वर्ष 1984 में जहां इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 76,355 टन थी, वहीं 1989 में 26,212 टन हो गई। इसके बाद तो उत्पादन में तेजी से हरास हुआ और 1991 में आते-आते यह पूर्ण रूप से रुग्ण हो गयी।

इस उद्योग की रुग्णता के कई प्रमुख कारण हैं जैसे कि पेशेवर प्रबन्धन के जिम्मे उद्योग का संचालन न हो, निर्देशक मण्डल का अस्थाई होना तथा सदस्यों का न्यूनतम लगाव होना।

वर्ष 1980 से अगस्त 1993 तक कार्यरत अध्यक्ष एवं कार्यपालक निर्देशक का अक्षमतापूर्ण आचरण भारत सरकार द्वारा संयुक्त उद्योगपतियों के साथ उपेक्षा का बर्ताव इस प्रकार के उत्पादन में लगे स्थानीय उद्योगपति और इस उद्योग के प्रबन्धन के बीच साजिश के कारण कई अन्य ऐसे कारणों से यह उद्योग रुग्ण अवस्था में प्रचलित होता चला गया। जाहिर है कि इस रुग्ण अवस्था के लिए सरकारी नीतियां और सरकारी आफिसर कर्मचारी जिम्मेदार हैं, मजदूर नहीं, तो फिर इस उद्योग को बन्द करने से मजदूरों का नुकसान क्यों किया जा रहा है ?

इसलिए मेरा सरकार से यह निवेदन है कि अगर हम तुरन्त कुछ कार्रवाई जैसे कि ख्याति प्राप्त प्रबन्धकों को नियुक्ति किया जाना, भारत सरकार के उपक्रम भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि. के साथ इस उद्योग का, विलय मजदूरों की वास्तविक प्रतिनिधित्व करने वाली मजदूर संघ से संबंधित यूनियनों से वार्ता जारी करना, केन्द्रीय सरकार द्वारा कल्याण कोष से बकाया राशि का तत्काल भुगतान किया जाना, संसद में कानून बना कर इस्पात संयंत्रों में रिफ्रैक्ट्री आइटम की खपत का एक निश्चित प्रतिशत इस उद्योग से खरीदे जाने का कोटा निर्धारित करना आदि आदि करें तो इस उद्योग को जनहित, देशहित में एवं मजदूरों के हित में बंद होने से बचाया जा सकता है। अगर आवश्यकता पड़े तो इस उद्योग को कर्मचारियों की समिति या सहयोग समिति से चलाया जा सकता है जिसके प्रमाणस्वरूप में एक पत्र वहां के यूनियनों के अधिकारियों की ओर से जो मुझे मिला है वह भी संलग्न कर रहा हूं। इस संबंध में, मैं एक प्रेस क्लिपिंग और वाईफर की रिपोर्ट की प्रतिलिपि भी संलग्न कर रहा हूं। इस संबंध के सब प्रपत्रों से यह जाहिर है कि यदि भारत सरकार इस मामले में तुरन्त कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो इससे देश की ही नहीं अपितु जनहित का काफी नुकसान होगा। धन्यवाद।

SHRI JIBON ROY (West Bengal) : Madam, I would like to associate myself with his proposal. It is a very serious matter. I request the Labour Ministry to call a tripartite meeting to discuss the matter and to see that the Kumardubhi Company is brought out of the crisis.

VIOLATION OF CONDUCT RULES BY COMMISSIONER OF POLICE CALCUTTA

श्रीविष्णु कांत शास्त्री (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं एक गंभीर घटना की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं । आल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्ज, 1954 के अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं के लिए जो आचरण संबंध विधि प्राप्त है उसमें यह स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी चाहे वह आई.ए.एस. हो या आई.पी.एस. हो या किसी दूसरे क्षेत्र का हो, वह राजनीति में हस्तक्षेप नहीं कर सकता । राजनीतिक विषयों के संबंध में सार्वजनिक रूप से वह अपना मन्तव्य प्रकाशित नहीं कर सकता ।

इस संदर्भ में मुझे यह निवेदन करना है कि कलकत्ता पुलिस के कमिश्नर साहब ने 2 दिसंबर को सार्वजनिक वक्तव्य देते हुए यह घोषणा की कि भारतीय जनता पार्टी की पराजय से उनको बहुत प्रसन्नता है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संबंध में अनेक आपत्तिजनक बातें अपने उस वक्तव्य में कहीं । मेरा निवेदन यह है कि किसी भी राज्य के किसी भी आई.पी.एस. आफिसर को अगर इस प्रकार खुले आम राजनीति में भाग लेना है तो वह निश्चय ही ले सकता है, बशर्ते वह त्यागपत्र दे दे तो राजनीति का रास्ता उसके लिए खुला है । लेकिन जिम्मेदार सरकारी ओहदे पर बने रह कर अगर वह अपने राजनीतिक मंतव्य प्रकट करते हैं तो क्या वे एक ऐसा उदाहरण नहीं प्रस्तुत करते जिसके आधार पर सारे भारत वर्ष की सेवाओं को प्रभावित किया जा सके । क्या यह कल्पना की जा सकती है कि दिल्ली का कोई भी सरकारी अधिकारी यह घोषित करे कि वह कांग्रेस का पराजय से बहुत ही प्रसन्न है । क्या यह कल्पना की जा सकती है कि राजस्थान का कोई सरकारी अधिकारी यह घोषित करे कि जनता दल को वहां मतदाताओं ने समाप्त कर दिया इस कारण वह बहुत प्रसन्न है या इसी तरह से अन्य राजनीतिक दलों में जहां जहां शासन चल रहा है उन-उन दलों के शासन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए एवं अन्य राजनीतिक दलों की निंदा करते हुए अगर अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी अपने मन्तव्य प्रकट करेंगे तो मैं समझता हूं कि उससे लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा होगा । इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से माननीय गृह मंत्री से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस बात की जांच करें, क्योंकि मुझे इस बात का आभास है, विश्वास है, मैंने इस बात को पाया है कि पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री भी उसके संबंध में उनका समर्थन करते हैं और उन्होंने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है, यद्यपि वहां की अन्य राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध किया है ।

इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अखिल भारतीय सेवा के संबंध में जो कानून पास किया गया है, उसका उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के संबंध में वे जांच करें और अगर वे दोषी पाए जाएं तो उस बारे में उचित निर्णय करें ।

SHRI ASHIS SEN (West Bengal) : Madam, Shastriji has raised certain issues which are within the domain of the State Government.

SOME HON. MEMBERS : No.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN) : I will deal with it.

SHRI ASHIS SEN : Madam, whatever he has raised is within the domain of the State Government.

My second point is this : Whether it is the ICS or IAS, or whether it is the Central Services or not, is a different question altogether. The issue which he has referred to is completely within the domain of the State Government. If the party of